(10)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सा०नि०/स्था०17–13/2019 156 पटना, दिनांकः 21·10·2020

कार्यालय आदेश

श्री पवन कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी के विरूद्ध संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–741(नि०को०)/रा० दिनांक–18.11.2019 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–820 दिनांक–27.07.2019 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–45 सहपठित ज्ञापांक–482 दिनांक–09.03.2020 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री पवन कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

" i. श्री पवन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर अपनी पत्नी की बीमारी बताकर दो दिन दिनांक–18.07.2019 एवं 19.07.2019 को आकस्मिक अवकाश पर गये किन्तु दिनांक–20.07.2019 को इन्होंने अंचल कार्यालय, गायघाट में अपना योगदान समर्पित नहीं किया।

ii. पुनः इन्होंने अवकाश के विस्तार हेतु आवेदन जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दिया जिसे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इनका अवकाश आवेदन अस्वीकृत करते हुए अविलंब अंचल में योगदान देने हेतु पत्र के माध्यम से सूचना देते हुए निदेशित किया गया। वर्त्तमान में बाढ़ की विभीषिका व्याप्त है तथा गायघाट अंचल में इनके अनुपस्थिति में राहत एवं बचाव कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है । आपदा राहत एवं बचाव कार्य में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी गयी है। अविलंब योगदान करने हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद भी इन्होंने अपना योगदान अबतक नहीं दिया है। यह कृत्य आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं बाढ़ जैसी संवेदनशील कार्य में असंवेदनहीनता का द्योतक है।

iii. बाढ़ राहत से संबंधित पूर्व आयोजित बैठक में इन्हें अपने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा ससमय अपने क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दिये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा इनसे 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी एवं इन्हें यह भी निदेश दिया गया कि क्षेत्र में गंभीरतापूर्वक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पर्यवेक्षण करते हुए प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं किया गया है।

iv. आपदा प्रबंधन नियम–56 में स्पष्ट वर्णित है कि " ऐसा कोई अधिकारी, जिसपर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जबतक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अधिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा ।"

v. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 में स्पष्ट है कि श्री पवन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट ने बिहार आपदा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः श्री पवन कुमार का यह आचरण आपदा प्रबंधन नियम 56 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (I) (i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।"

3. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–181/वि०जॉ० दिनांक–31.08.2020 द्वारा श्री पवन कुमार पर संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने समीक्षा कर निम्न प्रतिवेदन दिया है :–

<u>समीक्षाः–</u> श्री पवन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये विभागीय पक्ष का अवलोकन किया गया एवं दोनों पक्षों को सविस्तार सुना गया। श्री पवन कुमार के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' में आरोपों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा बाढ़ की विभिषिका के फलस्वरूप आपदा राहत एवं बचाव कार्य में उनके अनुपस्थित रहने के कारण व्यवधान उत्पन्न हो गया। जिलाधिकारी, मजफ्फरपुर द्वारा अविलंब योगदान करने हेतु निदेश दिये जाने के वाबजूद भी श्री कुमार द्वारा योगदान नहीं दिया गया। यह कृत आदेश का अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में इन आरोपों के बचाव में स्पष्ट किया है कि गायघाट अंचल के कुछ पंचायतों में दिनांक–14.07.2019 को बाढ़ का पानी प्रवेश किया। बाढ़ पूर्व तैयारी एवं बाढ़ आ जाने के उपरान्त इनके द्वारा सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को ससमय उनके सेलफोन पर सूचना देते हुए तत्परता के साथ बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया। इसी बीच दिनांक–17.07.2019 को इनके घर से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि इनकी पत्नी की तबियत अत्यधिक खराब है। इनके परिवार में इनके अलावा दूसरा कोई वयस्क सदस्य नहीं है, बच्चे छोटे हैं और गया में पढ़ाई करते हैं। इसकी सूचना जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दूरभाष पर दिया। इन्होंने दिनांक–18.07.2019 से 20.07.2019 तक अवकाश आवेदन समर्पित कर दिनांक–18.07.2019 को मुख्यालय से चले गये। दिनांक–19.07.2019 को चिकित्सक से पत्नी का ईलाज करवाया, जिसमें चिकित्सक द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्णतया बेड रेस्ट की सलाह दी गयी। इन्होंने दिनांक–19.07.2019 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को ई–मेल के माध्यम से अवकाश विस्तार हेतु आवेदन भेजा । इसी क्रम में इनका भी तबियत काफी खराब हो गया। दिनांक–23.07.2019 को इनका अवकाश

विस्तार आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों मे चाहकर भी ये कर्त्तव्य पर वापस नहीं आ पाये। स्वस्थ्य होने पर दिनांक– 28.07.2019 को योगदान समर्पित कर अपने कार्यो का निर्वहन सुचारू रूप से किये। श्री पवन कुमार का कहना है कि पूर्णतः निर्दोष हैं तथा इनके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–56 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इनका एवं इनकी पत्नी की अस्वस्थता ही इनकी विवशता थी।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि अंचल अधिकारी, गायघाट ने अपने पत्रांक–287, दिनांक–27.03.2020 एवं पूरक स्पष्टीकरण ज्ञापांक–453, दिनांक––15.06.2020 में स्पष्ट किये हैं कि श्री पवन कुमार की पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण अपना अवकाश विस्तार संबंधित आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भेजा तथा यह भी स्पष्ट किया कि अवकाश विस्ताार संबंधित आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुआ, साथ ही यह भी उल्लेख किये हैं कि दिनांक–22.07.2019 को स्वयं भी बीमार हो चुके थे। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–756/स्था०, दिनांक–19.07.2019 द्वारा श्री कुमार के अवकाश अवधि में बाढ़ राहत कार्य निष्पादन करने हेतु प्रभार ग्रहण हेतु निदेश दिया गया। इन्होंने पूरक स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है कि पत्नी की गंभीर बीमारी जैसे विषम परिस्थिति में दो ही विकल्प था, पहला यह है कि अपने गंभीर रूप से बीमार पत्नी को चिकित्सा कराकर उनके जीवन की रक्षा करता अथवा उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर कार्यालय वापस आ जाते। अंचलाधिकारी प्रथम विकल्प चयन कर बीमार पत्नी का ईलाज कराये । इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति में वही करता जो एक असैनिक कर्मी करता है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि अपने गंभीर रूप से बीमार पत्नी के जीवन रक्षा करने के कारण एवं कार्य अवधि में बाढ़ से संबंधित कार्यो का निष्पादन किया है। इसलिए इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा –56 के तहत कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किये हैं।

<u>निष्कर्ष :–</u>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि श्री पवन कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी,गायघाट, मुजफ्फरपुर के द्वारा जान बूझकर आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है और न हीं कार्य के प्रति लापरवाह एवं कर्त्तव्यहीन हैं। पत्नी के बीमारी एवं स्वयं बीमार होने के कारण इनकी विवशता रही है।

इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने हेतु विभागीय स्तर से कोई ठोस साक्ष्य उपस्थित नहीं किये गये, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विषम स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप पत्नी के प्राण रक्षार्थ अंचल अधिकारी, गायघाट वाध्यकारी स्थिति में उक्त वर्णित तिथियों को अनुपस्थित रहे हैं। प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं ।"

4. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पवन कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पवन कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– अ०सा०नि०/स्था०17–13/2019 2053 पटना, दिनांक: 21-10-2020

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक– 820 दिनांक–27.07.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर , योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री पवन कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 20/x